वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 73 /XVII(1)-01/2008–10(01)/2006

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 28 जनवरी 2008

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–265/XVII(1)-01/2007–10(01)/2006, दिनांक 20 अप्रैल 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक के अनुसार रूपये 2,41,000/– (रूपये दो लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो।
2. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, बजट मैनुअल तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाए।
4. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
5. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

BHUWAN PANDEY

11 January 2008

7. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समायोजन चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–जनजाति कल्याण निदेशालय–00" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप "बी.एम.–15" के "पुनार्वनियोजन कालम–01" की बचतों से वहन किया जाएगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–387(NP)/XXVII(3)/2007, दिनांक 08 जनवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 73 (1)/XVII(1)-01/2007–10(01)/2006, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सहायक लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

11 January 2008